



झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश

पत्रांक:-9/RCH-191/2010- 259 (MD)

नामकुम, राँची, दिनांक:- 28.02.2013

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुमोदनोपरान्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति में आवश्यक दवाओं, उपकरणों, मुद्रण एवं अन्य सामग्रियों के क्रय अथवा दर निर्धारण हेतु Procurement Cell के द्वारा तैयार किये गये Tender documents के प्रत्येक बिन्दुओं का Evaluation करने हेतु एक समिति का निम्न रूप से गठन किया जाता है।

- 1) डॉ० सुमन्त मिश्रा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सरकार।
- 2) राज्य वित्त प्रबन्धक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति।
- 3) डॉ० प्रफुल्ल कुमार मलिक, परामर्शी, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति।
- 4) क्रय सामग्री से संबंधित पदा०/ कोषांग/ कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति।

उक्त समिति एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर उक्त Tender Documents का Evaluation कर अपने मन्तव्य/सुझावों के साथ प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
अभियान निदेशक
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति,
झारखण्ड, नामकुम, राँची।